



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 074648

(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट की अगला और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी सत्य-पत्र का प्रारूप:-

हम नीमती गुन्जन पाल एवं श्री अमन पाल क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मुन्नापाल कीलारी देवी एजुकेशनल वेल्फेयर सोसाइटी, ग्राम-कोरवट,पोस्ट-गायघाट,तहसील-बनघटा,जिला-सन्तकबीर नगर राजबिहारीक निम्नलिखित बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मुन्नापाल कीलारी देवी कालेज ऑफ फार्मसी ग्राम-कोरवट,पोस्ट-गायघाट,तहसील-बनघटा,जिला-सन्तकबीर नगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम मुन्नापाल कीलारी देवी एजुकेशनल वेल्फेयर सोसाइटी, ग्राम-कोरवट,पोस्ट-गायघाट,तहसील-बनघटा,जिला-सन्तकबीर नगर में ग्राटा संख्या 402 एवं 397 रकबा 0.8174 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी काद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के ग्राटा संख्या 402 एवं 397 रकबा 0.8174 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15-10-2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रसन्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नगरीय के अनुसार किया गया है।

की अगला सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी सत्य-पत्र का प्रारूप:-

6. यह कि निरीक्षण समिति के सम्बन्ध उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं इस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सम्बन्ध निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्मसी कारन्तिल आर्के इन्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन कार्मसी सम्बन्ध का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस सम्बन्ध में कार्मसी कारन्तिल आर्के इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बन्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टन प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्मसी कारन्तिल आर्के इन्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्ध सम्बन्ध एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बन्ध कोई अन्य सम्बन्ध / विद्यालय / महाविद्यालय / आईटीआई आदि का संचालन न हो पूर्व में कमी किया गया है, और न ही भविष्य में कमी किया जायेगा।
10. यह कि, सम्बन्ध के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्मसी कारन्तिल आर्के इन्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि, सम्बन्ध के संचालन हेतु आवश्यक सैद्धिक एवं अर्थिक स्टाफ की तैयारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, सम्बन्ध / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभाँति पालन करेगा। यदि वह सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अयोग्यता या अनियमितता का भलीभाँति पालन करेगा। यदि वह सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अयोग्यता या अनियमितता का भलीभाँति पालन करेगा। यदि वह सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अयोग्यता या अनियमितता का भलीभाँति पालन करेगा।

हो अधिकारी

श्री. राजेश कुमार

हो अधिकारी

श्री. राजेश कुमार